UPRN120010002020

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट भोगनीपुर ,कानपुर देहात।

परिवाद सं–623/2020

श्रीमती राजकुमारी बनाम कन्नेश उर्फ कमलेश आदि ।

दिनांक 28–04–2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया ।

संक्षेप में परिवाद पत्र के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादिनी दिनांक 04–03–2020 को रात्रि करीब 12.30 बजे वह अपनी परिवार के साथ घर के अन्दर सो रही थी । उसी समय उसके समधी कन्नेश उर्फ कमलेश , अंकित , रमेश व समधिन श्रीमती रामदेई उर्फ रामदेवी बहू ममता देवी को घर से लिवा ले जाने के लिए आये हम सभी लोग बाहर निकल कर आये और कहा कि अभी रात्रि है सुबह ले जाना लेकिन वे लोग नहीं माने और उसको तथा परिवार वालों को गाली गलौज करने लगे मना करने पर बहू ममता देवी उन्हीं के साथ हो गयी उक्त लोग उसको तथा उसके परिवार के लोगों को लाठी डण्डा से मारने लगे शोरगुल सुनकर उसके पति रामस्वरूप व गांव के प्रहलाद आदि लोग बचाने दौड़े उक्त लोग उसकी बहू ममता देवी को अपने साथ लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये । वह थाना अमराहट में रिपोर्ट लिखाने गयी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । तब उसने दिनांक 05–03–2020 को एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात को दिया । उसने चोटों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्दरा में करवाया । उसने पुनः दिनांक 07–03–2020 को तथा दिनांक 17–03–2020 को पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात को हाथों हाथ प्रार्थना पत्र दिया किन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तब उसने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता माननीय न्यायालय में दाखिल किया ।

न्यायालय आदेश दिनांकित 08–07–2020 के द्वारा प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया ।

परिवादिनी का बयान अंतर्गत धारा 200 सी०आर०पी०सी अंकित किया गया। परिवादिनी की ओर से धारा 202 सी०आर०पी०सी के अंतर्गत पी०डब्ल्यू० – 01 रामस्वरूप व पी०डब्ल्यू० –02 महेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया है ।

परिवादिनी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं प्र०सं० में कथन किया गया कि

दिनांक 04–03–2020 को मेरे समधी, कमलेश, अंकित रामदेई और रमेश मेरे घर रात में आये थे । उनके द्वारा कहा गया कि बहू को लेने आये हैं ये लोग रात में 12 बजे लेने आये थे । हमने कहा कि बहू को सुबह ले जाना । फिर इन लोगों के द्वारा मारपीट की गयी । अंकित ने मुझको डण्डा मारा जिससे मेरा हाथ टूट गया था । मैं थाने गयी थी किन्तु वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं कप्तान साहब के यहां गयी थी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई फिर न्यायालय आ गयी । इस प्रकार घर में घुसकर मार पीट करने का प्रथम दृष्टया अपराध होना प्रतीत होता है। अतः सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों व परिवादिनी तथा उसकी तरफ से परीक्षित साक्षियों के बयान को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त अंकित को अन्तर्गत धारा 325 भा०द०सं० एवं अभियुक्तगण कन्नेश उर्फ कमलेश ,रमेश व श्रीमती रामदेई उर्फ राम देवी को अंतर्गत धारा 323 भा०द०सं० में तलब किये जाने के पर्याप्त आधार हैं।

आदेश

अभियुक्त अंकित को अन्तर्गत धारा 325 भा०द०सं० एवं अभियुक्तगण कन्नेश उर्फ कमलेश ,रमेश व श्रीमती रामदेई उर्फ राम देवी को अंतर्गत धारा 323 भा०द०सं० में तलब किया जाता है। परिवादिनी अन्दर सप्ताह पैरवी करे। पत्रावली दिनांक 31–05–2023 को पेश हो।

(राशि तोमर)

दिनांक 28–04–2023

सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट

भोगनीपुर, कानपुर देहात।

J.O code U.P2540

Digitally signed by RASHI TOMAR
Date: 2023.04.29 11:08:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court